तथा इन प्रावधानों को कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बिलासपुर से अकलतारा तक (27 कि.मी.) तीसरी रेलवे लाइन को 1991-92 के निर्माण कार्यक्रम में मंजूरी दी गई है।

इस्पात और खान मंत्रालय ने दल्ली-राजहरा-जगदलपुर नई रेल लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव किया है। पहले चरण में, दल्लीराजहरा से रावघाट तक (95 कि.मी.) रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। चूंकि प्रस्तावित लाइन का केवल स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए जैसे ही इस्पात और खान मंत्रालय तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस लाइन के लिए धन की व्यवस्था कर दी जाती है, इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

(ङ) आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

खनिजों पर दी जाने वाली रायल्टी का भुगतान

837. श्री लक्खीराम अग्रवाल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खनिजों अथस्कों पर राज्य सरकारों को दी जाने वाली रायल्टी की दरों में कोई परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी की तुलनात्मक दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को दी जाने वाली रायल्टी की दरों में यदि कोई असमानता है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो क्या सरकार मध्य प्रदेश राज्य को दी जाने वाली रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) की रायल्टी दरों में पिछला संशोधन खान मंत्रालय द्वारा मई, 1987 में किया गया था। कोयले की रायल्टी दरें कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में 1 अगस्त 199, से संशोधित की गई हैं।

(ख) खान मंत्रालय द्वारा निर्धारित रायल्टी दरें सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी होती हैं और अलग-अलग राज्य के लिये अलग-अलग दरें नहीं होती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खनिजों, (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत छोड़कर) की रायल्टी दरों में खान मंत्रालय द्वारा संशोधन देय हो गया है। जब ये दरें संशोधित की जाएंगी तो नई दरें मध्य प्रदेश सहित, सभी राज्यों पर लागू होंगी।

838. [*Transferred to 12th September, 1991*]

Construction of bridges in Bihar

839. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is only one Railway Bridge in Bihar over the Ganges i.e. Mokamah Rail Bridge;

(b) whether it is also a fact that Patna to Pakuza Railway Bridge project is pending with the Central Government since last 15 years; and